

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-सं.3-4(2)संविदा/च0श्रे0/अभि/2019 पार्ट-III/13767-90

दिनांक 31/10/22

:- आदेश :-


अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.2/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	अभियोजन कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	श्री महबुब खां मेवाती	04.09.1961	अधीक्षण अभियन्ता जन संसाधन वृत्त-भीलवाडा	सनिअ, चित्तौडगढ़	प्रथम बार
2.	श्री जग्गा भारती	15.04.1961	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीनमाल	सनिअ, जालोर	प्रथम बार
3.	श्री भोला मीणा	26.04.1962	सहायक निदेशक अभियोजन, भीलवाडा	सनिअ, भीलवाडा	प्रथम बार
4.	श्री श्रवण कुमार धोवी	07.04.1960	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाडा	सनिअ, भीलवाडा	प्रथम बार
5.	श्री नारायण लाल कुम्हार	20.07.1959	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर	सनिअ, उदयपुर	प्रथम बार
6.	श्री हीरालाल शर्मा	10.03.1962	राजस्व विभाग, चित्तौडगढ़	सनिअ, चित्तौडगढ़	प्रथम बार
7.	श्री भगवान लाल	23.12.1959	अधीक्षण अभियन्ता, वांघवृत्त, वीसलपुर परियोजना, देवली	सनिअ, चित्तौडगढ़	प्रथम बार
8.	श्री पन्नाराम	31.03.1961	सहायक निदेशक अभियोजन, जालोर	सनिअ, जालोर	द्वितीय बार
9.	श्री गुलवाराम	14.07.1960	जिला कलेक्टर, जालोर	सनिअ, जालोर	द्वितीय बार
10.	श्री मोहनलाल	15.07.1969	सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त झालावाड	सनिअ, कोटा	द्वितीय बार
11.	श्री वापू लाल रेगर	03.01.1961	न्याय विभाग, कोटा	सनिअ, कोटा	द्वितीय बार
12.	श्री अब्दुल कय्यूम	20.06.1960	सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	सनिअ, कोटा	द्वितीय बार
13.	श्री रामगोपाल वैरवा	30.05.1961	न्याय विभाग, रावतभाटा, चित्तौडगढ़	सनिअ, चित्तौडगढ़	द्वितीय बार
14.	श्री दिनेश चन्द शर्मा	15.02.1961	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त झालावाड	सनिअ, झालावाड	द्वितीय बार
15.	श्रीमति राजकुमारी शर्मा	17.03.1960	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर	सनिअ, अजमेर	द्वितीय बार

16.	श्री रामप्रसाद शर्मा	05.07.1958	सहायक निदेशक अभियोजन, टोंक	सनिअ, टोंक	द्वितीय वार
17.	श्रीमति सुमित्रा बाई	25.03.1960	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा	सनिअ, भीलवाड़ा	द्वितीय वार
18.	श्री रतन प्रकाश मीणा	12.03.1960	सहायक निदेशक अभियोजन, प्रथम जयपुर	सनिअ द्वितीय जयपुर शहर	द्वितीय वार
19.	श्री मन्सूर आलम	03.07.1961	सहायक निदेशक अभियोजन, झालावाड	सनिअ झालावाड	द्वितीय वार

- कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।
- पुनः नियुक्त कर्मचारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
- पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है।
संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01(01) संवेतन व्यय (स्टेट. फण्ड) से प्रभार्य होगा।
- यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या 00214 दिनांक 19.10.2022 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों/समय-समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात् उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(युधिष्ठिर शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
- सहायक निदेशक अभियोजन _____।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
- लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

